

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

मोहन लाल पिता देवीलाल रेगर नि. जहाजपुर

बनाम

सुवा पिता बगतावर कीर नि. भगतो की झुपडिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 128 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयं इनिशियल्स अज	गम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
08 .03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भगतो की झुपडिया प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5761 कुल किता 01 रकबा 0.3561 हैक्टेयर एवं आ. न. 5771, 5772, 5774 / 1 कुल किता 03 रकबा 0.3237 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियं सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भगतो की झुपडिया प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5761 कुल किता 01 रकबा 0.3561 हैक्टेयर एवं आ. न. 5771, 5772, 5774 / 1 कुल किता 03 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक .03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड-अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	